SNEHA®
RAISING HEALTH FOR ALL

SNEHA (Society for Nutrition Education and Health Action), Behind Building No. 11, BMC Colony, Linking Road Extension, Shastri Nagar, Santacruz West, Mumbai 400 054, India Tel: (022) 26614488 / 76

sneha.sphelpdesk@snehamumbai.org

# प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना

## योजना के लाभ

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना (पीएमबीजेपी) के तहत देश भर में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके) स्थापित किए गए हैं ताकि ब्रांडेड दवाओं के बाजार भाव की तुलना में 50% से 90% कम कीमत पर समान रूप से प्रभावी और सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इस योजना के तहत खरीदी गई सभी दवाओं का एनएबीएल (राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रयोगशालाओं) मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता आश्वासन के लिए परीक्षण किया जाता है और डब्ल्यूएचओ जीएमपी (विश्व स्वास्थ्य संगठन के अच्छे विनिर्माण अभ्यास) बेंचमार्क के अनुरूप हैं।

- PMBJK की स्थापना के लिए 2.5 लाख तक का सरकारी अनुदान प्रदान किया जाता है।इन्हें डॉक्टर, फार्मासिस्ट, उद्यमी, स्वयं सहायता समूह, एनजीओ, चैरिटेबल सोसाइटी आदि किसी भी उपयुक्त स्थान पर या अस्पताल परिसर के बाहर स्थापित कर सकते हैं।

- जनऔषधि सुगम मोबाइल ऐप द्वारा आप आस-पास के जनऔषधि केंद्रों का पता लगा सकते हैं, और जनऔषधि जेनेरिक दवा खोज सकते हैं।

- यह दवाइयाँ कोई भी खरीद सकता है। इस योजना का लाभ लेने लिए कोई कागजाद आवश्यक नहीं है।

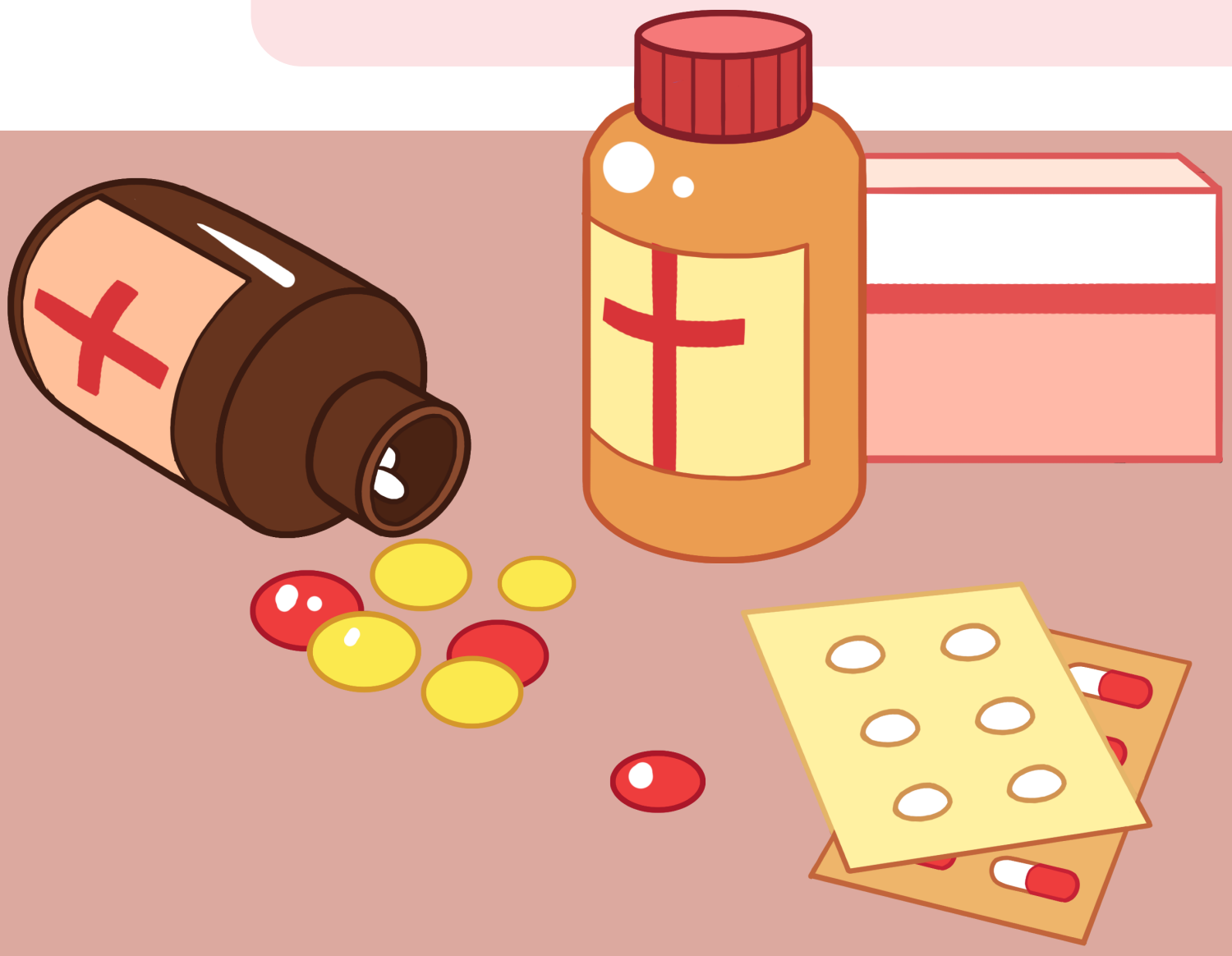

SNEHA
RAISING HEALTH FOR ALL

SNEHA (Society for Nutrition Education and Health Action), Behind Building No. 11, BMC Colony, Linking Road Extension, Shastri Nagar, Santacruz West, Mumbai 400 054, India Tel: (022) 26614488 / 76

sneha.sphelpdesk@snehamumbai.org

# आयुष्मान भारत- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY)

Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana
Ayushman Bharat
PM-JAY

## योजना के लाभ

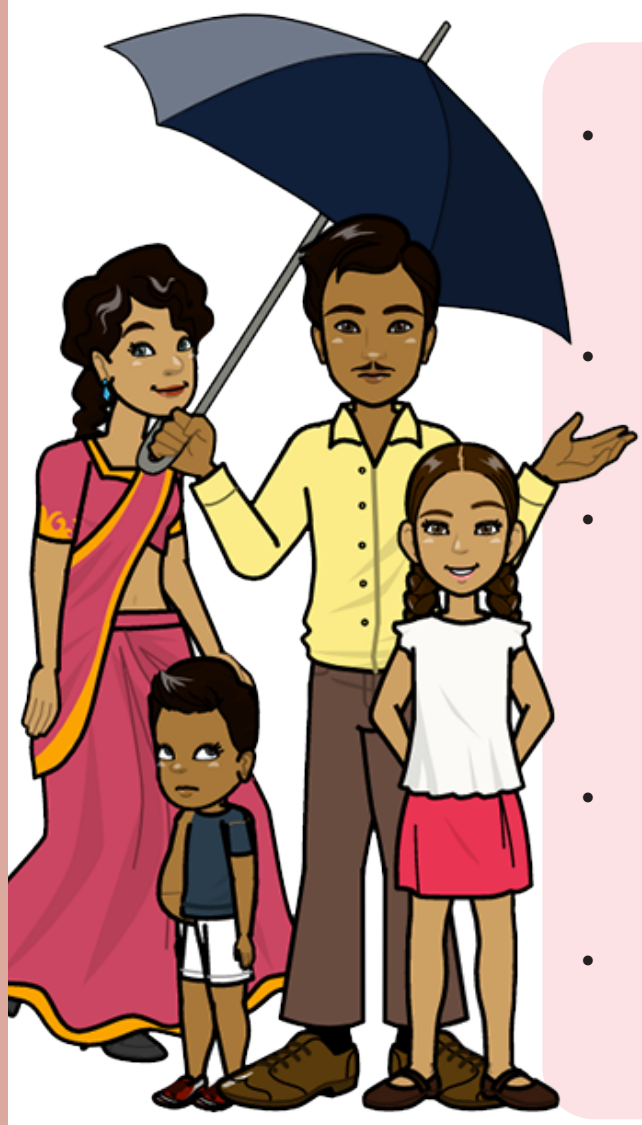

- इस योजना के माध्यम से सूचीबद्ध सार्वजनिक और निजी अस्पताल में उपचार के चलते कोई भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इस बीमा की निधि से पात्र परिवार के लिए प्रति वर्ष 5 लाख (Rs. 5,00,000/-) रूपये तक का उपचार का खर्चा सरकार उठाएगी।
- योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार में सदस्यों की संख्या, लिंग या उम्र का प्रतिबन्ध नहीं है।
- सेवाओं में उपचार से संबंधित लगभग 1,393 प्रक्रियाएं शामिल हैं जिन में अस्पताल में भर्ती होने के 3 दिन पहले तक का, और अस्पताल में भर्ती होने के 15 दिन बाद तक का खर्चा (दवाइयाँ, चिकित्सा की फीस, कमरे का शुल्क, सर्जन शुल्क, ऑपेरशन थिएटर और आईसीयू शुल्क आदि) शामिल हैं।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को किसी भी प्रकार से पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- बाह्य रोगी विभाग (ओ पी डी, OPD) खर्च, नशामुक्ती, कॉस्मेटिक सर्जरी, प्रजनन उपचार, अंग प्रत्यारोपण इसमें शामिल नहीं है ।

## पात्र निकष

**सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011** (एसईसीसी 2011) के आधार पर चुने गए लाभार्थी परिवार ही इस योजना का लाभ उठा सकते है। योजना के लिए आप की पात्रता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए:

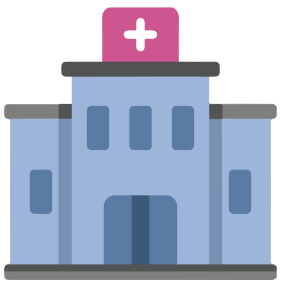

नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सी एस सी) पर या किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में जाकर जांच करें

या

14555 या 1800-111-565 पर संपर्क करें

या

योजना की वेबसाइट (www.pmjay.gov.in/) पर जांच करें

SNEHA
RAISING HEALTH FOR ALL

SNEHA (Society for Nutrition Education and Health Action), Behind Building No. 11, BMC Colony, Linking Road Extension, Shastri Nagar, Santacruz West, Mumbai 400 054, India Tel: (022) 26614488 / 76

sneha.sphelpdesk@snehamumbai.org

# प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)

## योजना के लाभ

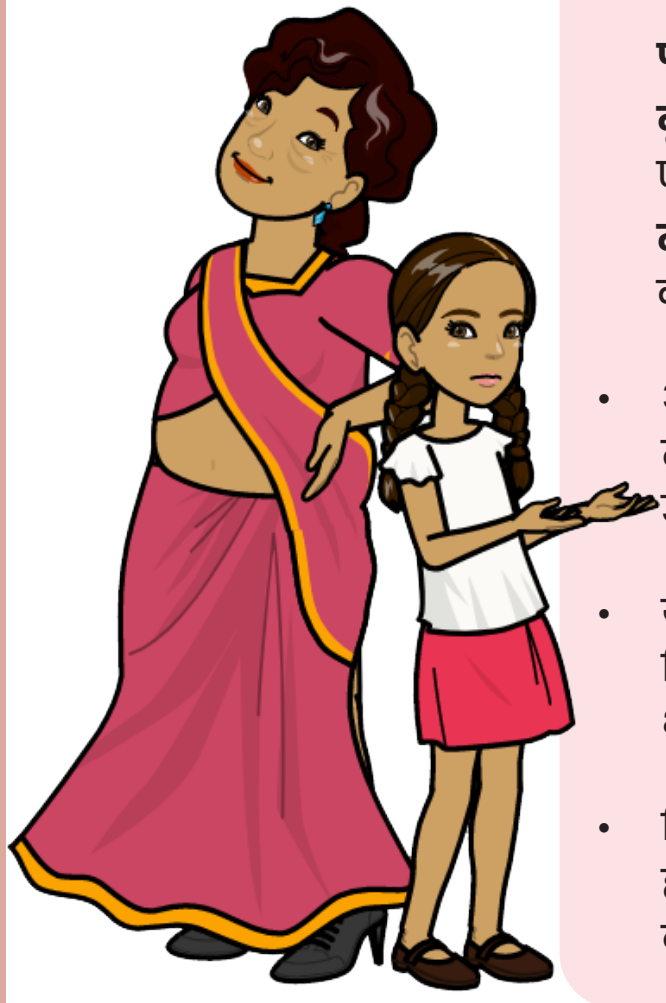

- इस योजना के अंतर्गत नगदी 5000 रुपये (Rs. 5,000/-) गर्भवती और स्तनपान करानेवाली महिलाओं के बैंक खाते में पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान जमा होते है। यह तीन किश्तों में दिए जाते हैं।

  **पहली किश्त:** 1000 रुपये - गर्भविस्था के पंजीकरण के समय

  **दूसरी किश्त:** 2000 रुपये - यदि लाभार्थी छ: महीने के गर्भविस्था के बाद कम से कम एक बार प्रसूतिपूर्व जांच करा लेते हैं तो

  **तीसरी किश्त:** 2000 रुपये - जब बच्चे का पंजीकरण हो जाता है और जन्म के बाद बच्चे को बीसीजी, पोलियो, डीपीटी और हेपिटाइटिस बी का टीकाकरण चालू होता है तब।

- अगर महिला का पहले तीन महीने में गर्भपात होता है और वह दूसरी बार गर्भवती होती है तो उसे पहली किश्त नहीं मिलेगी लेकिन पात्रता के मानदंड एवं शर्तों के पूर्ती के अधीन उसे बाकी की किश्तें मिलेगी।

- यदि पहली और दूसरी किश्त प्राप्त करने के बाद लाभार्थी का गर्भपात हो जाता है या मृत शिशु का जन्म होता है तो वह पात्रता के मानदंड एवं योजना की शर्तों के पूर्ती के अधीन भावी गर्भधारणा की स्थिति में तीसरी किश्त प्राप्त करने लिए के पात्र होगी।

- शिशु मृत्यु के मामले में, लाभार्थी योजना के तहत लाभ का दावा करने के लिए पात्र नहीं होगी , यदि उसने पहले से ही इस योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ की सभी किश्तें प्राप्त कर ली हैं।

## पात्र निकष

जो महिलाएँ केंद्र या राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमं के साथ जुड़ कर नियमित रोजगार कमा रही हैं या जो किसी भी कानून के तहत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं उन्हें छोड़कर सभी गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान करानेवाली माताएँ।

सभी पात्र गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान करानेवाली माताएँ जो परिवार में पहले बच्चे के लिए 1 जनवरी 2017 को या उसके बाद गर्भवती हुई हैं।

SNEHA®
RAISING HEALTH FOR ALL

SNEHA (Society for Nutrition Education and Health Action), Behind Building No. 11, BMC Colony, Linking Road Extension, Shastri Nagar, Santacruz West, Mumbai 400 054, India Tel: (022) 26614488 / 76

sneha.sphelpdesk@snehamumbai.org

# महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY)

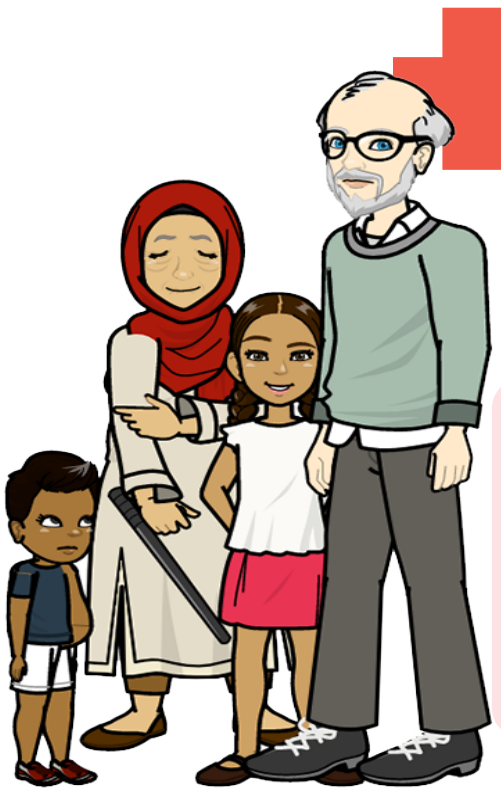

## योजना के लाभ

- यह योजना लाभार्थी के सूचीबद्ध अस्पताल में भर्ती होने से संबंधित सभी खर्चों को पूरा करने के लिए ₹ 1,50,000/- प्रति परिवार प्रति पॉलिसी वर्ष तक कवरेज प्रदान करती है। गुर्दा प्रत्यारोपण (रेनल ट्रांसप्लांट) के लिए इस सीमा को प्रति परिवार प्रति पॉलिसी वर्ष 2,50,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। यह लाभ पॉलिसी वर्ष में परिवार के सभी सदस्यों द्वारा या एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

## पात्र निकष

**श्रेणी 1:** पीला, ऑरेंज, अन्तोदय और अन्नपूर्णा राशन कार्ड धारित सभी परिवार

**श्रेणी 2:** महाराष्ट्र के 14 कृषि संकटग्रस्त जिलों के सफ़ेद राशन कार्ड धारित किसान के परिवार

**श्रेणी 3:**

1. सरकारी अनाथालयों के बच्चे, सरकारी आश्रम शाला के छात्र, सरकारी महिला आश्रम की महिला रहिवासी और सरकारी वृद्धाश्रम के वरिष्ठ नागरिक
2. डीजीआईपीआर द्वारा अनुमोदित पत्रकार और उनके आश्रित परिवार के सदस्य
3. निर्माण श्रमिक और उनके परिवार जिनका महाराष्ट्र भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण है

## आवश्यक दस्तावेज़:

**कोई भी फोटो आयडी सबूत** +

**श्रेणी 1:** राशन कार्ड

या

**श्रेणी 2:** 7/12 उद्धारण

या

**श्रेणी 3:** स्टेट हेल्थ अशुरन्स सोसइटी द्वारा तय किए गए पहचान पत्र/स्वास्थ्य कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र

## आवेदन कैसे करे

सूचीबद्ध अस्पतालों में कार्यरत आरोग्यमित्र दस्तावेजों की जांच करेंगे और पात्र लाभार्थी को योजना का लाभ लेने के लिए मदद करेंगे| यदि प्रक्रिया एमजेपीजेएवाई लाभार्थी के लिए 996 प्रक्रियाओं में आती है, तो अनिवार्य दस्तावेजों को संलग्न करके अस्पताल द्वारा ई-प्राधिकरण अनुरोध किया जाता है। पूर्व-प्राधिकरण स्वीकृत होने के बाद, प्रक्रिया निजी अस्पताल द्वारा 30 दिनों के भीतर और सार्वजनिक अस्पताल द्वारा 60 दिनों के भीतर की जाएगी। लाभार्थी को उपचार का खर्चा नहीं देना पड़ेगा| अस्पताल डिस्चार्ज की तारीख से 10 दिनों तक योजना के तहत मुफ्त फ़ॉलोअप परामर्श, निदान और दवाइयाँ प्रदान करेगा।

SNEHA
RAISING HEALTH FOR ALL

SNEHA (Society for Nutrition Education and Health Action), Behind Building No. 11, BMC Colony, Linking Road Extension, Shastri Nagar, Santacruz West, Mumbai 400 054, India Tel: (022) 26614488 / 76

sneha.sphelpdesk@snehamumbai.org

# जननी सुरक्षा योजना (JSY)

## योजना के लाभ

- लाभार्थियों को आंगनवाड़ी/ सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों  में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पंजीकरण कर के  कम से कम तीन प्रसव पूर्व जांच, प्रसवोत्तर देखभाल और नवजात शिशु की देखभाल के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- कम प्रदर्शन करनेवाले राज्यों में  (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, उड़ीसा और जम्मू और कश्मीर) ग्रामीण क्षेत्र में ₹1400 तथा शहरी क्षेत्र में ₹1000 की वित्तीय सहायता गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय पर प्रदान की जाएगी।
- उच्च प्रदर्शन करनेवाले राज्यों में ग्रामीण क्षेत्र में ₹ 700  तथा शहरी क्षेत्र में ₹ 600 की वित्तीय सहायता गर्भवती महिलाओं को पहले दो जीवित बच्चों के प्रसव के समय पर प्रदान की जाएगी।

## पात्र निकष

**श्रेणी 1:** कम प्रदर्शन करने वाले राज्योंसे (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, उड़ीसा और जम्मू और कश्मीर) सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी करनेवाली सभी गर्भवती महिलाएँ।

**श्रेणी 2:** उच्च प्रदर्शन करने वाले  राज्योंसे सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी करनेवाली बीपीएल परिवारोंकी गर्भवती महिलाएँ जिनकी आयु 19 से ज्यादा हो।

**श्रेणी 3:** सभी राज्योंसे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल परिवारोंकी सभी गर्भवती  महिलाएँ  जो सरकारी अस्पताल में तथा मान्यताप्राप्त प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी कराती है।

कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों में सभी जन्मों के लिए लाभ दिया जाता है, जब कि उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों में दो जीवित जन्मों के लिए लाभ दिया जाता है।

## आवेदन कैसे करे

गर्भवती महिला को आंगनवाड़ी या सरकारी स्वास्थ्य सुविधा में आशा कर्मचारी के साथ संपर्क करना होगा।

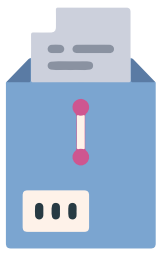

आशा कर्मचारी योजना के लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए गर्भवती महिला की मदद करेगी।

SNEHA®
RAISING HEALTH FOR ALL

SNEHA (Society for Nutrition Education and Health Action), Behind Building No. 11, BMC Colony, Linking Road Extension, Shastri Nagar, Santacruz West, Mumbai 400 054, India Tel: (022) 26614488 / 76

sneha.sphelpdesk@snehamumbai.org

# सुकन्या समृद्धि योजना

**उद्देश्य :** सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य प्रदान करने के लिए शुरू की गई है और माता-पिता को अपनी बेटी की भविष्य की शिक्षा और शादी के खर्चों के लिए एक निधि बनाने में सक्षम बनाती है।

## योजना के लाभ

- अन्य सरकार समर्थित कर बचत योजनाओं की तुलना में इस योजना से उच्च निश्चित ब्याज दर प्रति वर्ष मिलता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, सरकार उस वर्ष के लिए लागू ब्याज दर की घोषणा करती है, जबकि आपके निवेश पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है।
- इस योजना के अंतर्गत धारा 80 सी के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये तक कर बचत लाभ मिलता है।
- दो सौ पचास रुपये की न्यूनतम प्रारंभिक जमा राशि के साथ खाता खोला जा सकता है और उसके बाद पचास रुपये के गुणकों में इसमें राशि जमा की जा सकती है। एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 250 और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपये आप जमा कर सकते हो।
- यह योजना वार्षिक चक्रवृद्धि का लाभ प्रदान करती है।
- सुकन्या समृद्धि खाते का संचालन करने वाले माता-पिता/अभिभावक के स्थानांतरण के मामले में इस खाते को देश के एक हिस्से से दूसरे बैंक/डाकघर में आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है।

## पात्र निकष

- केवल बालिका के माता-पिता या कानूनी अभिभावक ही इस योजना के अंतर्गत खाता खोल सकते हैं।
- खाता खोलते समय बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- बालिका के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है।
- एक परिवार के लिए केवल दो SSY खातों की अनुमति है।
- यदि जुड़वां या तीन लड़कियों के जन्म से पहले एक लड़की का जन्म होता है या यदि पहले तीन बच्चे पैदा होते हैं, तो तीसरा खाता खोला जा सकता है।
- यदि जुड़वां या तीन लड़कियों के जन्म के बाद एक लड़की का जन्म होता है, तो तीसरा SSY खाता नहीं खोला जा सकता है।
- खाता खोलने की तारीख से पंद्रह वर्ष की अवधि पूरी होने तक खाते में रकम जमा की जा सकती है।
- इस योजना का कार्यकाल 21 वर्ष के होने तक चल सकता है। जब से खाता खोला गया है तब से लेकर 21 वर्ष के होने तक इसमे जमा किए गए सारे रुपये खाता धारक को ब्याज सहित दे दिए जाते है। यदि कन्या की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है और कन्या का विवाह किया जा रहा है तो यह खाता इसके समय से पूर्व ही समाप्त किया जा सकता है।
- विकट परिस्थिती जैसे कन्या की मृत्यु अथवा किसी प्राण घातक समस्या में अकाउंट बंद करने अथवा समय से पूर्व पैसा निकलने की अनुमति हैं, जिसके लिए प्रमाण देना आवश्यक हैं।